[2020] 3 उम. नि. प. 131

हीरा लाल (डा.)

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

[2020 की सिविल अपील सं. 1677-1678]

18 फरवरी, 2020

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदु मल्होत्रा

बिहार पेंशन नियम, 1950 – नियम 43 और 27 [सपठित तारीख 22 अगस्त, 1974, 31 अक्तूबर, 1974 के सरकारी परिपत्र और तारीख 31 जुलाई, 1980 का संकल्प तथा संविधान, 1950 का अनुच्छेद 300(क) और 309] – सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय और न्यायिक कार्यवाहियां आरंभ किया जाना – निलंबन – कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सरकारी सेवक का सेवानिवृत्त हो जाना – अनंतिम पेंशन प्रदान किया जाना और संपूर्ण उपदान तथा अन्य पेंशन संबंधी फायदे रोका जाना – चूंकि पेंशन नियमों में सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय/न्यायिक कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सेवानिवृत्त हो जाने पर उसे अनंतिम पेंशन और अन्य फायदों को रोके जाने का कोई उपबंध नहीं था और सरकार द्वारा कार्यपालिक/प्रशासनिक अनुदेश जारी करके किए गए ऐसे उपबंधों में विधि का बल न होने के कारण उनके आधार पर पेंशन या संबद्ध फायदों को नहीं रोका जा सकता था ।

बिहार पेंशन नियम, 1950 – नियम 43 और 27 [सपठित तारीख 22 अगस्त, 1974, 31 अक्तूबर, 1974 के सरकारी परिपत्र और तारीख 31 जुलाई, 1980 का संकल्प तथा संविधान, 1950 का अनुच्छेद 300(क) और 309] – सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय और न्यायिक कार्यवाहियां आरंभ किया जाना – निलंबन – कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सरकारी सेवक का सेवानिवृत्त हो जाना – अनंतिम पेंशन प्रदान किया जाना और संपूर्ण उपदान तथा अन्य पेंशन संबंधी फायदे रोका जाना – सरकारी सेवक को पेंशन या उपदान (ग्रेच्यूटी) नियोजक द्वारा उदारतापूर्वक दिए जाने वाला मात्र दान नहीं है अपितु कर्मचारी

अपनी लंबी, सतत्, निष्ठापूर्ण और अकलंकित सेवा के फलस्वरूप इन फायदों को प्राप्त करता है और मात्र कार्यपालिक आदेश या प्रशासनिक आदेश द्वारा इन्हें छीना नहीं जा सकता है ।

इस अपील के तथ्यों के अनुसार, अपीलार्थी को प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा टूरिंग पशुपालन अधिकारी (पीवीओ) के पद पर नियुक्त किया गया था । जब अपीलार्थी सक्रिय सेवा में था, तब उसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए चारा घोटाला में अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें तारीख 21 नवंबर, 2003 को उसके विरुद्ध एक आरोप पत्र फाइल किया गया था । विशेष न्यायाधीश, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पशु पालन ने दांडिक मामले में संज्ञान लिया । अपीलार्थी तारीख 31 मार्च, 2008 को अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक निलंबनाधीन रहा । अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर राज्य सरकार ने तारीख 17 सितंबर, 2008 के आदेश द्वारा अपीलार्थी की 90 प्रतिशत अनंतिम पेंशन का संदाय मंजूर किया और दांडिक कार्यवाहियों के लंबित रहने के कारण पेंशन का 10 प्रतिशत, संपूर्ण उपदान, छुट्टी का नकदीकरण और सामान्य भविष्य निधि को रोक लिया । अपीलार्थी ने 10 प्रतिशत पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के रोके जाने की कार्यवाही से व्यथित होकर पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की जिसमें संपूर्ण पेंशन, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण और साधारण भविष्य निधि का ब्याज सहित संदाय करने के लिए प्रत्यर्थियों को निदेश देते हुए एक परमादेश की रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की गई । उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने तारीख 23 जनवरी, 2013 के निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति होने तक संपूर्ण पेंशन और उपदान का दावा तथ्यों और विधि दोनों के अनुसार अमान्य है । अपीलार्थी ने एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर लेटर्स पेटेंट अपील फाइल की, जो उच्च न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ द्वारा तारीख 21 मार्च, 2017 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दी गई । अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 43(ख) के अनुशीलन से यह उपदर्शित होता है कि राज्य सरकार पेंशन की संपूर्ण रकम या भाग को, स्थायी रूप से या एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या वापस लेने के लिए सशक्त थी, यदि पेंशन पाने वाला किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में "गंभीर अवचार का दोषी पाया जाता है" या अपनी सेवा की अवधि के दौरान "अवचार या उपेक्षा द्वारा सरकार को धनीय हानि कारित की है" । नियम 43(ख) के अंतर्गत वह स्थिति नहीं आती थी, जहां न्यायिक या विभागीय कार्यवाहियां लंबित थीं । प्रत्यर्थी-राज्य ने तारीख 22 अगस्त, 1974 और 31 अक्तूबर, 1974 को दो परिपत्र जारी किए, जिनके अधीन ऐसे कर्मचारी को, जो सेवानिवृत्ति के समय विभागीय या न्यायिक कार्यवाही का सामना कर रहा था, 75 प्रतिशत पेंशन का संदाय करने का उपबंध किया गया था । परिपत्रों में यह उपबंधित था कि कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कोई उपदान या मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान संदत्त नहीं किया जाएगा । राज्य सरकार ने तारीख 31 जुलाई, 1980 को सरकारी संकल्प सं. 3014 जारी किया । तारीख 31 जुलाई, 1980 के सरकारी संकल्प सं. 3104 में यह उपबंध किया गया था कि जहां किसी सरकारी सेवक की सेवा अवधि के दौरान विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां आरंभ की गई थीं और सेवा-निवृत्ति की तारीख तक समाप्त नहीं हुई थी या अंतिम रूप से निपटारा नहीं हुआ था, तब तारीख 22 अगस्त, 1974 और 31 अक्तूबर, 1974 के परिपत्रों के अधीन अनंतिम पेंशन संदत्त की जाएगी । तथापि, अनंतिम पेंशन को ग्राह्य पेंशन की अधिकतम रकम का 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत की गई थी । न्यायालय के सुविचारित मतानुसार, तारीख 22 अगस्त, 1974 और 31 अक्तूबर, 1974 के परिपत्र तथा तारीख 31 जुलाई, 1980 का सरकारी संकल्प मात्र प्रशासनिक अनुदेश/कार्यपालिक आदेश थे । वे संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी नहीं किए गए थे और यह नहीं कहा जा सकता है कि उनमें विधि का बल था । उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, यह न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि प्रत्यर्थी-राज्य ने तारीख 22 अगस्त, 1974 और 31 अक्तूबर, 1974 के प्रशासनिक परिपत्रों तथा तारीख 31 जुलाई, 1980 के सरकारी संकल्प के अधीन अपीलार्थी की 10 प्रतिशत पेंशन को अपीलार्थी के तारीख 31 मार्च,

2008 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् रोककर न्यायोचित्य नहीं किया था । (पैरा 11.2, 12.1, 12.4, 13, 13.1 और 14)

यह सुस्थिर है कि पेंशन के अधिकार को मात्र किसी कार्यपालिक आदेश या प्रशासनिक अनुदेश द्वारा छीना नहीं जा सकता है । पेंशन या उपदान मात्र इनाम नहीं है, या नियोजक द्वारा उदारतापूर्वक दिए जाते हों । कर्मचारी इन फायदों को अपनी लंबी, निरंतर, निष्ठापूर्ण और निष्कलंकित सेवा के फलस्वरूप अर्जित करता है । (पैरा 13.4)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	2019 लैब आईसी 2937 (एफबी) = (2018) 159 एफ एल आर 143 : **अरविंद कुमार सिंह** बनाम **बिहार राज्य और अन्य आदि, आदि** ;	13.7
[2017]	(2017) 1 पी. एल. जे. आर. 575 : **विजय कुमार मिश्रा** बनाम **बिहार राज्य** ;	9, 13.7
[2013]	(2013) 12 एस. सी. सी. 210 : **झारखंड राज्य और अन्य** बनाम **जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और अन्य** ;	5, 13.1
[2006]	(2006) 7 एस. सी. सी. 651 : **पश्चिमी बंगाल राज्य** बनाम **हरेश सी. बनर्जी और अन्य** ;	13.6
[1983]	(1983) 1 एस. सी. सी. 305 : **डी. एस. नकारा और अन्य** बनाम **भारत संघ** ;	13.5
[1971]	[1971] 3 उम. नि. प. 305 = (1971) 2 एस. सी. सी. 330 : **देवकीनंदन प्रसाद** बनाम **बिहार राज्य** ।	13.4

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सिविल अपील सं. 1670 1678.

2013 की लैटर्स पेटेंट अपील सं. 1529 और 2017 के सिविल

पुनरीक्षण सं. 207 में पटना उच्च न्यायालय के 21 मार्च, 2017 और 23 अगस्त, 2017 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री सुनील कुमार, ज्येष्ठ अधिवक्ता और हिमांशु शेखर

प्रत्यर्थियों की ओर से — सुश्री प्रतिष्ठा विज, सर्वश्री अभिनव मुखर्जी, पार्थिव के. गोस्वामी (सुश्री) दीक्षा राय, सिबो शंकर मिश्रा और श्रीमती अनिल कटियार

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (सुश्री) इंदु मल्होत्रा ने दिया ।

न्या. (सुश्री) मल्होत्रा – विलंब के लिए माफी दी गई । इजाजत दी गई ।

1. संक्षिप्त विवाद्यक जो विचार के लिए उद्भूत होता है यह है कि क्या बिहार राज्य ने तारीख 22 अगस्त, 1974 और 25 अक्तूबर, 1974 के परिपत्रों तथा तारीख 31 जुलाई, 1980 के सरकारी संकल्प के अधीन अपीलार्थी की 10 प्रतिशत पेंशन और संपूर्ण उपदान (ग्रेच्यूटी) को दांडिक कार्यवाहियों के लंबित रहने के आधार पर रोक कर न्यायोचित किया है या नहीं ?

2. अपीलार्थी को प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा पवाना में टूरिंग पशुपालन अधिकारी (पीवीओ) के पद पर नियुक्त किया गया था । जब अपीलार्थी सक्रिय सेवा में था, तब उसे 1996 के आरसी मामला सं. 48-ए में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज किए गए चारा घोटाला में अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें तारीख 21 नवंबर, 2003 को उसके विरुद्ध एक आरोप-पत्र फाइल किया गया था । विशेष न्यायाधीश, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पशु पालन ने दांडिक मामले में संज्ञान लिया । अपीलार्थी को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1930, जो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 2005 के प्रवर्तन से पूर्व प्रवृत्त थे, के नियम 49(क) के अधीन तारीख 31 मई, 2002 को निलंबित किया गया था । अपीलार्थी तारीख 31 मार्च, 2008 को अपनी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक निलंबनाधीन रहा ।

3. अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर राज्य सरकार ने तारीख

17 सितंबर, 2008 के आदेश द्वारा अपीलार्थी की 90 प्रतिशत अनंतिम पेंशन का संदाय मंजूर किया और दांडिक कार्यवाहियों के लंबित रहने के कारण पेंशन का 10 प्रतिशत, संपूर्ण उपदान, छुट्टी का नकदीकरण और सामान्य भविष्य निधि को रोक लिया ।

4. अपीलार्थी ने 10 प्रतिशत पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों के रोके जाने की कार्यवाही से व्यथित होकर पटना उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की जिसमें संपूर्ण पेंशन, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण और साधारण भविष्य निधि का ब्याज सहित संदाय करने के लिए प्रत्यर्थियों को निदेश देते हुए एक परमादेश की रिट जारी करने के लिए प्रार्थना की गई ।

5. अपीलार्थी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह दलील दी कि बिहार पेंशन नियम, 1950 में किसी सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को, जिसके विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियां लंबित हैं, संपूर्ण पेंशन और उपदान का संदाय करने के लिए प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है । बिहार पेंशन नियमों का नियम 45(ख) तब तक लागू नहीं होता है, जब तक कि अपचारी कर्मचारी किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में गंभीर अवचार का दोषी होना नहीं पाया जाता है या अवचार या उपेक्षा द्वारा सरकार को धनीय हानि कारित नहीं की है । परिणामतः, नियम 43(ख) दांडिक कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान लागू नहीं होगा । **झारखंड राज्य और अन्य** बनाम **जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव और अन्य**[1] वाले मामले इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियम 43(ख) पेंशन और उपदान को रोकने की अनुज्ञा नहीं देता है जब विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां अभी लंबित हैं । यह भी दलील दी गई कि तारीख 31 जुलाई, 1980 का सरकारी संकल्प एक कार्यपालिक अनुदेश होने के कारण उसका विधि में कोई बल नहीं है और पेंशन को प्राप्त करने के उस अधिकार को छीन नहीं सकता है, जो संविधान के अनुच्छेद 300क के अधीन एक सांविधानिक अधिकार के रूप में मान्यताप्राप्त है ।

6. बिहार राज्य ने यह कथन करते हुए अपना प्रति-शपथपत्र फाइल

---

[1] (2013) 12 एस. सी. सी. 210.

किया कि साधारण भविष्य निधि के मद्ये 12,78,711/- रुपए और छुट्टी के नकदीकरण के मद्ये 1,35,256/- रुपए की राशि अपीलार्थी को क्रमश: तारीख 15 जनवरी, 2009 और 3 फरवरी, 2009 को पहले ही संदत्त की जा चुकी है । राज्य ने वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए तारीख 22 अगस्त, 1974 और 31 अक्तूबर, 1974 के परिपत्रों के साथ सपठित 31 जुलाई, 1980 के सरकारी संकल्प के आधार पर अपने आधार को न्यायोचित ठहराया, जिसमें यह अधिकथित है कि यदि कोई सरकारी सेवक निलंबनाधीन रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वह संपूर्ण पेंशन और उपदान का हकदार नहीं होगा तथा विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक अधिक से अधिक 90 प्रतिशत अनंतिम पेंशन के संदाय का हकदार होगा । इसमें यह भी उपबंधित है कि उक्त कार्यवाहियों की समाप्ति और उनमें अंतिम आदेश जारी होने तक कोई उपदान या मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान संदेय नहीं होगा ।

7. विचार के लिए जो विवाद्यक रह गया था, वह पेंशन के 10 प्रतिशत और उपदान की संपूर्ण रकम के संदाय को रोकने के संबंध में था ।

8. उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने तारीख 23 जनवरी, 2013 के निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिका को यह अभिनिर्धारित करते हुए खारिज कर दिया कि दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति होने तक संपूर्ण पेंशन और उपदान का दावा तथ्यों और विधि दोनों के अनुसार अमान्य है । चूंकि अपीलार्थी के अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक किसी भी समय पर तारीख 31 मई, 2002 के निलंबन आदेश को वापस नहीं लिया गया था, इसलिए बिहार पेंशन नियमों के नियम 43(ख) के अनुसार उस संपूर्ण अवधि के दौरान दांडिक कार्यवाहियां जारी रहनी समझी जाएंगी । तारीख 22 अगस्त, 1974 और 31 अक्तूबर, 1974 के सरकारी परिपत्रों तथा तारीख 31 जुलाई, 1980 के सरकारी संकल्प के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पेंशन का 10 प्रतिशत और उपदान की संपूर्ण रकम को विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक अस्थायी रूप से रोकने के लिए एक भानपूर्वक विनिश्चय किया गया था ।

9. अपीलार्थी ने एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित होकर लेटर्स पेटेंट अपील फाइल की, जो उच्च न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ

द्वारा तारीख 21 मार्च, 2017 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दी गई । खंड न्यायपीठ ने बिहार पेंशन नियमों के नियम 43(ख) और (ग) के निर्वचन पर **विजय कुमार मिश्रा** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में के निर्णय का अनुसरण किया और लेटर्स पेटेंट अपील फाइल की । खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी को 10 प्रतिशत पेंशन और उपदान की संपूर्ण रकम, जो रोकी गई है, का हकदार होने से पूर्व लंबित दांडिक मामले के परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी । अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई पुनरीक्षण याचिका को बल न देने के कारण तारीख 23 अगस्त, 2017 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया ।

10. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष यह विशेष इजाजत याचिका फाइल की । हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुना और उनकी ओर से दी गई दलीलों पर विचार किया ।

11. सुसंगत कानूनी उपबंध

11.1 बिहार पेंशन रूल्स, 1950 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट, 1935 की धारा 241(2)(ख) के अधीन अधिनियमित किए गए थे और तारीख 20 जनवरी, 1950 को प्रवृत्त हुए । नियम 27 और 43(क) तथा (ख) इसमें नीचे उपवर्णित किए जाते हैं :–

"27. <u>पेंशन में कोई उपदान भी सम्मिलित है</u> ।"

"43(क) भावी सदाचरण प्रत्येक पेंशन प्रदान करने की एक विवक्षित शर्त है । प्रांतीय सरकार को पेंशन या उसके किसी भाग को तब रोकने या वापस लेने का आरक्षित अधिकार है, यदि पेंशन पाने वाला गंभीर अपराध का सिद्धदोष है या गंभीर अवचार का दोषी है । संपूर्ण पेंशन या उसके किसी भाग को इस नियम के अधीन रोकने या वापस लेने के किसी प्रश्न पर प्रांतीय सरकार का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा ।

(ख) <u>राज्य सरकार को किसी पेंशन या उसके किसी भाग को</u>

---

[1] (2017) 1 पी. एल. जे. आर. 575.

चाहे स्थायी रूप से या एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, रोकने या वापस लेने और सरकार को कारित किसी धनीय हानि के संपूर्ण या किसी भाग को तब पेंशन से वसूली करने का आदेश देने का भी आरक्षित अधिकार है, यदि पेंशन पाने वाला अपनी सेवा के दौरान, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन भी सम्मिलित है, के दौरान विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियों में गंभीर अवचार का दोषी पाया गया है; या अवचार अथवा उपेक्षा द्वारा सरकार को धनीय हानि कारित की है :"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

11.2 नियम 43(ख) के अनुशीलन से यह उपदर्शित होता है कि राज्य सरकार पेंशन की संपूर्ण रकम या भाग को, स्थायी रूप से या एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या वापस लेने के लिए सशक्त है, यदि पेंशन पाने वाला किसी विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में "गंभीर अवचार का दोषी पाया जाता है" या अपनी सेवा की अवधि के दौरान "अवचार या उपेक्षा द्वारा सरकार को धनीय हानि कारित की है" ।

12. परिपत्र और संकल्प

12.1 नियम 43(ख) के अंतर्गत वह स्थिति नहीं आती थी, जहां न्यायिक या विभागीय कार्यवाहियां लंबित थीं । प्रत्यर्थी-राज्य ने तारीख 22 अगस्त, 1974 और 31 अक्तूबर, 1974 को दो परिपत्र जारी किए, जिनके अधीन ऐसे कर्मचारी को, जो सेवानिवृत्ति के समय विभागीय या न्यायिक कार्यवाही का सामना कर रहा था, 75 प्रतिशत पेंशन का संदाय करने का उपबंध किया गया था । परिपत्रों में यह उपबंधित था कि कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कोई उपदान या मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान संदत्त नहीं किया जाएगा ।

12.2 बिहार सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया तारीख 22 अगस्त, 1974 का परिपत्र निम्न प्रकार से है :–

"विषय :– ऐसे सरकारी सेवकों को जो निलंबनाधीन हैं या जिनके विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां या जांच समाप्त नहीं हुई हैं, पेंशन का संदाय ।

ऐसे सरकारी सेवकों को, जो निलंबनाधीन हैं या जिनके विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां या जांच समाप्त नहीं हुई हैं, पेंशन मंजूर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है ।

2. राज्य सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि (i) जहां बिहार पेंशन नियमों के नियम 43(ख) के अधीन किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही संस्थित की गई है या ऐसे किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही जारी है जो अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर या अन्यथा सेवानिवृत्त हो गया है, उसे उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आरंभ होकर उस तारीख तक, जिस तारीख को ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के उपरांत अंतिम आदेश पारित किए जाते हैं, की अवधि के दौरान उस पेंशन की 75 प्रतिशत अनंतिम पेंशन संदत्त की जाएगी जो सेवानिवृत्ति की तारीख तक, या यदि वह सेवानिवृत्ति की तारीख को निलंबनाधीन था तो उस तारीख से ठीक पहले की तारीख तक जिस तारीख को उसे निलंबित किया गया था, उसकी अर्हक सेवा के आधार पर ग्राह्य हो गई होती, किंतु उसे कोई उपदान या मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति और उस पर अंतिम आदेशों के जारी न होने तक संदत्त नहीं किया जाएगा । (ii) उपरोक्त उपबंध के अधीन पूर्वोक्त कार्यवाहियों की समाप्ति के उपरांत ऐसे अधिकारी को मंजूर किए गए सेवानिवृत्ति के अंतिम फायदों के विरुद्ध अनंतिम पेंशन के संदाय को समायोजित किया जाएगा किंतु वहां कोई वसूली नहीं की जाएगी जहां अंतिम रूप से मंजूर की गई पेंशन अनंतिम पेंशन से कम है या पेंशन या तो स्थायी रूप से या एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कम की गई है या रोकी गई है ।

3. पूर्वोक्त उपबंध के अधीन पेंशन की मंजूरी से बिहार पेंशन नियमों के नियम 139 के प्रवर्तन पर वहां प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जहां अंतिम पेंशन कार्यवाहियों की समाप्ति पर मंजूर की गई है ।

4. ये आदेश 1 नवंबर, 1970 से प्रभावी होंगे । सभी लंबित मामलों को तद्नुसार विनिश्चित किया जाएगा । (एफ. डी. ज्ञापन

सं. पीसी-11-40-28/74/9144एफ, तारीख 22-8-1974 द्वारा) ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

12.3 तत्पश्चात् तारीख 31 अक्तूबर, 1974 को एक स्पष्टीकारक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें यह दोहराया गया कि न्यायिक या विभागीय कार्यवाहियों की समाप्ति तक केवल 75 प्रतिशत तक अनंतिम पेंशन संदत्त की जाएगी । तारीख 31 अक्तूबर, 1974 का परिपत्र निम्नलिखित है :–

"विषय :– ऐसे सरकारी सेवकों को जो निलंबनाधीन हैं या जिनके विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख को विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां या जांच समाप्त नहीं हुई हैं, पेंशन का संदाय ।

वित्त विभाग के पत्र सं. पीसी-11-40-28/74/9144एफ, तारीख 22-8-1974 जिसमें यह उपबंध किया गया है कि कोई सरकारी सेवक जो सेवानिवृत्त हो गया है और जिसके विरुद्ध कोई विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां संस्थित की गई हैं या जारी हैं, को ग्राह्य पेंशन की 75 प्रतिशत की सीमा तक अनंतिम पेंशन संदत्त की जाएगी । पूर्वोक्त आदेशों के अधीन अनंतिम पेंशन का संदाय आज्ञापक है । किंतु कुछ प्रशासनिक प्राधिकारियों की यह धारणा प्रतीत होती है कि उन मामलों में जहां किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध संस्थित की गई विभागीय कार्यवाहियां मुख्य शास्ति के लिए हैं और जिनमें अंततोगत्वा उसकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् बिहार पेंशन नियमों के नियम 43 के अधीन कार्यवाहियों की समाप्ति पर कोई पेंशन संदेय नहीं हो सकती है, वहां पेंशन मंजूर करने की आवश्यकता नहीं है । यह मत भाषा और भाव की दृष्टि से उक्त नियमों के विरुद्ध है । अतः सभी विभागाध्यक्षों आदि से नियमों की सही स्थिति तथा राज्य सरकार के आशय को उनके अधीन पेंशन मंजूर करने वाले प्राधिकारियों के ध्यान में लाने का अनुरोध किया जाता है जिससे कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को 75 प्रतिशत अनंतिम पेंशन के संदाय से इनकार न किया जा सके । (एफ. डी. ज्ञापन सं. पीसी-11-40-28/74/11260 एफ,

तारीख 31-10-1974 द्वारा) ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

12.4 राज्य सरकार ने तारीख 31 जुलाई, 1980 को सरकारी संकल्प सं. 3014 जारी किया, जो निम्न प्रकार से है:–

"7. पेंशन को रोकना या वापस लेना –

(क) खंड 6 में अंतर्विष्ट विनिश्चय से बिहार पेंशन नियमों के नियम 43 पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसके अधीन पेंशन को रोकने या वापस लेने की शक्ति निहित है ।

(ख) यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाहियां, दांडिक मामला, न्यायिक जांच आदि आरंभ नहीं की गई थीं तो पेंशन मंजूर करने वाला प्राधिकारी किसी परिस्थिति में पेंशन को रोकने के लिए सशक्त नहीं होगा । बिहार पेंशन नियमों का नियम 43 एक कानूनी नियम है । अत: विभिन्न विभागों द्वारा इसके प्रतिकूल किए गए उपबंध और सतर्कता विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने से संबंधित परिपत्र स्वयमेव रद्द समझे जाएंगे ।

(ग) जहां किसी सरकारी सेवक की सेवा-अवधि के दौरान आरंभ की गई विभागीय या न्यायिक कार्यवाही का उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक अंतिम रूप से निपटारा होना संभव नहीं है, तब वित्त विभाग के परिपत्र सं. 9144/एफ, 22-08-1974 और सं. 11260/एफ, 31-10-1974 के उपबंधों के अधीन अनंतिम पेंशन मंजूर करने की कार्यवाही आरंभ की जाए, जिससे कि सेवानिवृत्त होने जा रहे सरकारी सेवक को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े । नीचे दिए गए खंड 8(ग) में अंतर्विष्ट उपबंध इस प्रवर्ग के मामलों में लागू नहीं होंगे । इस प्रवर्ग के मामलों में, अनंतिम पेंशन की रकम, नियमानुसार, ग्राह्य पेंशन की अधिकतम रकम से कम होगी, किंतु यह किसी भी परिस्थिति में 90 से कम नहीं होगी ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

13. तारीख 31 जुलाई, 1980 के सरकारी संकल्प सं. 3104 में यह

उपबंध किया गया था कि जहां किसी सरकारी सेवक की सेवा अवधि के दौरान विभागीय या न्यायिक कार्यवाहियां आरंभ की गई थीं और सेवानिवृत्ति की तारीख तक समाप्त नहीं हुई थी या अंतिम रूप से निपटारा नहीं हुआ था, तब तारीख 22 अगस्त, 1974 और 31 अक्तूबर, 1974 के परिपत्रों के अधीन अनंतिम पेंशन संदत्त की जाएगी । तथापि, अनंतिम पेंशन को ग्राह्य पेंशन की अधिकतम रकम का 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 90 प्रतिशत की गई थी ।

13.1 हमारे सुविचारित मतानुसार, तारीख 22 अगस्त, 1974 और 31 अक्तूबर, 1974 के परिपत्र तथा तारीख 31 जुलाई, 1980 का सरकारी संकल्प मात्र प्रशासनिक अनुदेश/कार्यपालिक आदेश थे । वे संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी नहीं किए गए थे और यह नहीं कहा जा सकता है कि उनमें विधि का बल था । तारीख 31 जुलाई, 1980 का सरकारी संकल्प **झारखंड राज्य और अन्य** बनाम **जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव और अन्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था । बिहार पेंशन नियम के नियम 43(ख) और तारीख 31 जुलाई, 1980 के सरकारी संकल्प पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य को किसी सरकारी सेवक की पेंशन या उपदान की पूरी रकम को न्यायिक या विभागीय कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान रोकने का कोई प्राधिकार या शक्ति नहीं है । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि :–

> "9. विधिक स्थिति को स्पष्ट करने के पश्चात् हम पहले पेंशन देने से संबंधित नियमों पर चर्चा करते हैं । वर्तमान मामला स्वीकृत रूप से बिहार पेंशन नियमों द्वारा शासित होता है जो झारखंड राज्य पर लागू होते हैं । उक्त नियमों के नियम 43(ख) में राज्य सरकार को कतिपय परिस्थितियों में पेंशन या उसके भाग को रोकने या वापस लेने की शक्ति प्रदत्त की गई है । नियम 43(ख) निम्न प्रकार से है :–
>
> .....

[1] (2013) 12 एस. सी. सी. 210.

पूर्वोक्त नियम 43(ख) के अनुशीलन से निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती है :–

(i) जब पेंशन पाने वाला या तो विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर अवचार का दोषी पाया जाता है तो राज्य सरकार को पेंशन या इसके किसी भाग को रोकने या वापस लेने की शक्ति है ।

(ii) यह उपबंध राज्य को उक्त शक्ति का अवलंब लेने के लिए तब सशक्त नहीं करता है जबकि विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही लंबित हों ।

(iii) उपरोक्त कार्यवाहियों के परिणाम को विचार में लाए बिना छुट्टी के नकदीकरण को रोकने की शक्ति इस नियम के अधीन राज्य को प्रदान नहीं की गई है ।

(iv) इस शक्ति का अवलंब केवल तब लिया जा सकता है जब दोषी पाते हुए कार्यवाहियां समाप्त हुई हैं, न कि इससे पूर्व ।

.....

11. नियम 43(ख) के अनुशीलन से पूरी तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां तक कि विभागीय जांच की समाप्ति के पश्चात् भी सरकार के लिए पेंशन आदि रोकना केवल तब अनुज्ञेय है जब या तो विभागीय जांच या न्यायिक कार्यवाहियों में यह निष्कर्ष अभिलिखित किया जाता है कि कर्मचारी ने अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर अवचार किया था । नियमों में पेंशन/उपदान को रोकने का कोई उपबंध नहीं है जब ऐसी विभागीय कार्यवाहियां या न्यायिक कार्यवाहियां अभी लंबित हों ।

14. ..... किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना इस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 300क में सन्निविष्ट सांविधानिक आज्ञा है । निष्कर्ष यह है कि पेंशन या उपदान के एक भाग या छुट्टी के नकदीकरण को भी प्रशासनिक अनुदेश के साए में किसी कानूनी उपबंध के

बिना रोकने के लिए अपीलार्थी के प्रयत्न को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

15. इस बात पर मुश्किल से बल दिए जाने की आवश्यकता है कि कार्यपालिक अनुदेशों का कानूनी स्वरूप नहीं है और इसलिए पूर्वोक्त अनुच्छेद 300क के अर्थांतर्गत 'विधि' की संज्ञा नहीं दी जा सकती है । ऐसे किसी परिपत्र के आधार पर जिसमें विधि का बल नहीं है, अपीलार्थी पेंशन के या उपदान के एक भाग को भी रोक नहीं सकता है । जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, जहां तक कानूनी नियमों का संबंध है, प्रस्तुत स्थिति में पेंशन या उपदान को रोकने का कोई उपबंध नहीं है । यदि इन नियमों में कोई ऐसा उपबंध होता, तो स्थिति भिन्न रही होती ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पेंशन संविधान के अनुच्छेद 300क के अर्थांतर्गत 'संपत्ति' है और कार्यपालिक अनुदेशों को, जिनकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं है, अनुच्छेद 300क के अर्थांतर्गत "विधि" की संज्ञा नहीं दी जा सकती है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि पेंशन या उपदान को रोकने के लिए अनुज्ञात करने वाले कानूनी नियमों के अभाव में, राज्य कार्यपालिक अनुदेशों के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकता है । यह मत व्यक्त किया गया कि "जहां तक कानूनी नियमों का संबंध है, प्रस्तुत स्थिति में पेंशन या उपदान को रोकने के लिए कोई उपबंध नहीं है । यदि इन नियमों में कोई ऐसा उपबंध होता, तो स्थिति भिन्न रही होती ।"

13.2 तथापि, बिहार के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए तारीख 19 जुलाई, 2012 को बिहार पेंशन नियमों में संशोधन करके इस स्थिति में परिवर्तन किया गया था, जिसके द्वारा नियम 43 में खंड (ग) अंत:स्थापित किया गया था, जो निम्नलिखित है :–

"(ग) जहां सरकारी सेवक की सेवा अवधि के दौरान आरंभ की गई विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही, जिसमें ऐसे सेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मंजूरी दी गई है, सरकारी सेवक

की सेवानिवृत्ति होने तक समाप्त नहीं हुई है, अनंतिम पेंशन की रकम अधिकतम ग्राह्य पेंशन की रकम से कम होगी किंतु किसी भी स्थिति में 90 प्रतिशत (नब्बे प्रतिशत) से कम नहीं होगी ।"

13.3 नियम 43(ग) में यह उपबंधित है कि जहां किसी सरकारी सेवक की सेवा अवधि के दौरान कोई विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही आरंभ की गई है और अभियोजन चलाने की मंजूरी दी गई है, किंतु अधिवर्षिता की आयु तक समाप्त नहीं हुई है, तो संदेय अनंतिम पेंशन अधिकतम ग्राह्य रकम से कम होगी, किंतु किसी भी स्थिति में 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी ।

13.4 यह सुस्थिर है कि पेंशन के अधिकार को मात्र किसी कार्यपालिक आदेश या प्रशासनिक अनुदेश द्वारा छीना नहीं जा सकता है । पेंशन या उपदान मात्र इनाम नहीं है, या नियोजक द्वारा उदारतापूर्वक दिए जाते हों । कर्मचारी इन फायदों को अपनी लंबी, निरंतर, निष्ठापूर्ण और निष्कलंकित सेवा के फलस्वरूप अर्जित करता है । **देवकीनंदन प्रसाद** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की एक संविधान न्यायपीठ द्वारा किसी लोक सेवक के पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 31(1) के अधीन "संपत्ति के अधिकार" के अंतर्गत आने वाला अधिकार अभिनिर्धारित किया गया था, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि :–

"30. भगवंत सिंह **बनाम** भारत संघ [ए. आई. आर. 1962 पंजाब 503] के मामले में पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न विचारार्थ उठा था कि लोक सेवक को मंजूर की गई पेंशन ऐसी संपत्ति है या नहीं जिसे अनुच्छेद 31(1) लागू होता है । उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसा अधिकार संपत्ति है और इस अधिकार में किसी प्रकार के विघ्न से संविधान के अनुच्छेद 31(1) का उल्लंघन होता है । आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य कार्यपालिका आदेश से लोक सेवक के पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को न तो कम कर सकती है और न बिल्कुल ही समाप्त कर सकती है । यह विनिश्चय विद्वान् एकल

---

[1] [1971] 3 उम. नि. प. 305 = (1971) 2 एस. सी. सी. 330.

न्यायाधीश द्वारा किया गया था । भारत संघ ने इस विनिश्चय की लेटर्स पेटेंट अपील की थी । लेटर्स पेटेंट न्यायपीठ ने भारत संघ **बनाम** भगवंत सिंह [आई. एल. आर. 1965 पंजाब 1] वाले मामले में अपने विनिश्चय में विद्वान् एकल न्यायाधीश के विनिश्चय का अनुमोदन किया था । लेटर्स पेटेंट न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि लोक सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति पर मंजूर की गई पेंशन संविधान के अनुच्छेद 31(1) के अर्थान्तर्गत संपत्ति है और उसको इस अधिकार से वंचित विधि के प्राधिकार से ही किया जा सकता है और केवल इनकार किए जाने या रद्द किए जाने के कारण से ही ऐसे पेंशन का संपत्ति का स्वरूप समाप्त नहीं हो जाता । आगे यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राधिकारी के मनमानेपन पर ऐसी पेंशन के संपत्ति के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता ।

31. इसी विषय पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने के. आर. एरि **बनाम** पंजाब राज्य [आई.एल.आर. 1967 पंजाब और हरियाणा 278] में विचार किया था । उस न्यायालय को एक आफिसर के पेंशन प्राप्त करने के अधिकार के स्वरूप पर विचार करना था । न्यायाधीशों ने बहुमत से इसी उच्च न्यायालय के पूर्वतर दो विनिश्चयों में अधिकथित सिद्धांतों का अनुमोदन करते हुए उद्धरण दिया था । इन दोनों मामलों का ऊपर उल्लेख कर दिया गया है । पूर्ण न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया था कि पेंशन को सरकार की मर्जी और प्रसाद पर दिया जाने वाला दान नहीं समझा जाना चाहिए और अधिवार्षिकी पेंशन का अधिकार, जिसमें पेंशन की रकम भी शामिल है, सरकारी सेवक में निहित एक मूल्यवान अधिकार है । बहुमत ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया था कि यद्यपि आफिसर को पहले यह अवसर प्रदान किया गया था कि वह अपनी ओर से की गई त्रुटि या अवचार के लिए शास्ति अधिरोपित किए जाने के खिलाफ हेतुक दर्शित करे, फिर भी जब ऐसे आफिसर की संदेय पेंशन की मात्रा में ऐसे अवचार के आधार पर, जो उसके विरुद्ध पहले ही साबित हो चुका है, कमी की जाती है तो ऐसे आफिसर को इस संबंध में हेतुक

दर्शित करने के लिए और अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए । विद्वान् न्यायाधीशों ने ऐसा और अवसर प्रदान किए जाने के संबंध में जो विचार व्यक्त किया था वह सुसंगत पंजाब सिविल सर्विस रूल्स के आधार पर था । किंतु विद्वान् मुख्य न्यायाधीश अपने विसम्मत निर्णय में बहुमत की इस राय से सहमत नहीं थे कि आफिसर को ऐसी परिस्थितियों में, जब कि राज्य द्वारा उसे संदेय पेंशन की रकम में कमी कर दी गई है और अवसर प्रदान किया जाए । प्रस्तुत मामले में हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि याची के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाही के आधार पर उसके पेंशन में कमी की जाने या पेंशन इनकार किए जाने की कार्यवाही करने से पहले उसे हेतुक दर्शित करने का और नोटिस दिया जाना चाहिए था । यह प्रश्न हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले में विचार के लिए उठता ही नहीं है । हमें इस प्रश्न से भी सरोकार नहीं है कि आफिसर की सेवानिवृत्ति के पश्चात् पहली बार पेंशन कम करने या रोके रखने से पहले प्राधिकारियों को कौन सी प्रक्रिया, यदि कोई है तो, अपनानी चाहिए थी, इसलिए हम पंजाब उच्च न्यायालय के उक्त विनिश्चय में न्यायाधीशों के बहुमत और अल्पमत द्वारा व्यक्त विचारों के बारे में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं । किंतु हम न्यायाधीशों के बहुमत द्वारा उसके पूर्वत्तर विनिश्चय का अनुमोदन करने के इस विचार से सहमत हैं कि पेंशन ऐसा दान नहीं है जो सरकार की मर्जी और प्रसाद पर संदेय हो बल्कि पेंशन का अधिकार सरकारी सेवक में निहित एक मूल्यवान अधिकार है ।

33. उपर्युक्त विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए हमारी यह राय है कि पेंशन प्राप्त करने का याची का अधिकार अनुच्छेद 31 (1) के अधीन संपत्ति है और राज्य को केवल कार्यपालिक आदेश द्वारा इसे रोक रखने की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है । इसी प्रकर उक्त दावा अनुच्छेद 19(।)(च) के अधीन भी संपत्ति है और इसे अनुच्छेद 19 के उप-अनुच्छेद (5) द्वारा कोई व्यावृत्ति प्राप्त नहीं है । इसलिए यह परिणाम निकलता है कि याची को पेंशन प्राप्त करने के अधिकार से वंचित करने का तारीख 12 जून, 1968 वाला

आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) और 31(1) के अधीन याची के मूल अधिकारों को प्रभावित करता है और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन यह याचिका कायम रह सकती है .....।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

13.5 **डी. एस. नकारा और अन्य** बनाम **भारत संघ**[1] वाले मामले में इस न्यायालय की एक अन्य संविधान न्यायपीठ द्वारा पूर्वोक्त निर्णय का अनुसरण किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि :–

"20. पेंशन नियोजक की मर्जी और उदारता पर निर्भर करने वाला एक दान, एक नि:शुल्क संदाय है जो अधिकारस्वरूप दावा करने योग्य नहीं है और इसलिए न्यायालय के माध्यम से पेंशन के किसी अधिकार को प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, इस पुरातन धारणा को देवकी नंदन प्रसाद **बनाम** बिहार राज्य और अन्य [1971] (सप्ली.) एस. सी. आर. 634 वाले मामले में संविधान न्यायपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने प्राधिकृत रूप से यह निर्णय दिया है कि पेंशन एक अधिकार है और इसका संदाय सरकार के विवेकाधिकार पर निर्भर नहीं करता है अपितु नियमों द्वारा शासित है और उन नियमों के अंतर्गत आने वाला सरकारी सेवक पेंशन का दावा करने का हकदार है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि पेंशन प्रदान करना किसी व्यक्ति के विवेकाधिकार पर निर्भर नहीं करता है । यह केवल सेवा और अन्य संबद्ध विषयों को ध्यान में रखते हुए रकम निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए है जो इस आशय का आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी के लिए आवश्यक हो सकता है, किंतु पेंशन प्राप्त करने का अधिकार अधिकारी को ऐसे किसी आदेश के कारण प्राप्त नहीं होता है अपितु नियमों के फलस्वरूप प्राप्त होता है । पंजाब राज्य और एक अन्य **बनाम** इकबाल सिंह [(1976) 2 एल. एल. जे. 377 एस. सी.] वाले मामले में इसकी पुन:अभिपुष्टि की गई थी ।

29. सारांशत:, विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि

---

[1] (1983) 1 एस. सी. सी. 305.

पेंशन भूतकाल में की गई निष्ठावान सेवा के लिए केवल प्रतिकर नहीं है अपितु पेंशन का एक और अधिक महत्व भी है, क्योंकि यह एक सामाजिक-आर्थिक न्याय का उपाय है जिसमें जीवन के उन ढलते दिनों के लिए आर्थिक सुरक्षा अंतर्निहित है, जब आयु बढ़ने के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक कौशल क्षीण हो रहा होता है और इसलिए ऐसे व्यक्ति को बचत पर निर्भर रहने की आवश्यकता होती है । इस प्रकार की बचत वह है जब आप नियोजक को अपने जीवन के यौवनकाल में सर्वोत्तम सेवा देते हो और अशक्तता के दिनों में सामयिक संदाय के द्वारा आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है । इस पद को भूतकाल में की गई कथित सेवा के प्रतिफल स्वरूप दिए गए भत्ते या वजीफे या ऐसे व्यक्ति को, जो सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है, के अधिकारों या परिलब्धियों के अभ्यर्पण के रूप में न्यायसम्मत रूप में परिभाषित किया गया है । इस प्रकार किसी सरकारी कर्मचारी को संदेय पेंशन लंबी और दक्ष सेवा देकर अर्जित की जाती है और इसलिए इसे प्रतिकर का या दी गई सेवा का आस्थगित भाग कहा जा सकता है । एक वाक्य में यह कहा जा सकता है कि पेंशन के लिए सर्वाधिक व्यवहार्य मुख्य प्रयोजन वृद्ध आयु के कारण स्वयं का भरणपोषण करने में असमर्थ हो जाना है । कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है और बेरोजगारी से बच सकता है किंतु बुढ़ापा और गरीबी से नहीं बच सकता है यदि उसका सहारा बनने के लिए कुछ नहीं है ।

31. चर्चा से तीन बातें निकलकर आती हैं – (i) पेंशन नियोजक की मर्जी पर निर्भर करते हुए न तो एक दान है और न ही उदारता का विषय है और इससे 1972 के नियमों के अध्यधीन एक निहित अधिकार सृजित होता है, जो कि कानूनी स्वरूप के हैं क्योंकि वे संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किए गए हैं ; (ii) पेंशन एक अनुग्रहपूर्वक संदाय नहीं है अपितु यह भूतकाल में दी गई सेवा के लिए संदाय है ; और (iii) यह उनके लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय देने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है, जिन्होंने अपने जीवन के यौवन काल में

नियोजक के लिए इस आश्वासन पर अथक मेहनत की कि उन्हें उनकी वृद्धावस्था में असहाय नहीं छोड़ा जाएगा ।"

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

13.6 जैसा कि **पश्चिमी बंगाल राज्य** बनाम **हरेश सी. बनर्जी और अन्य**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा तारीख 20 जून, 1979 से अनुच्छेद 31(1) के निरसन के पश्चात् भी पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300क के अधीन संरक्षित संपत्ति का अधिकार होना अभिनिर्धारित किया गया है ।

13.7 आक्षेपित निर्णय में पटना उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने अपीलार्थी द्वारा ईप्सित अनुतोषों से इनकार करने के लिए एकमात्र **विजय कुमार मिश्रा** बनाम **बिहार राज्य**[2] वाले मामले में पटना उच्च न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ के पूर्ववर्ती विनिश्चय का अवलंब लिया है । महत्वपूर्ण रूप से, विजय कुमार मिश्रा वाले मामले के निर्णय को **अरविंद कुमार सिंह** बनाम **बिहार राज्य और अन्य आदि, आदि**[3] वाले मामले में पटना उच्च न्यायालय की एक पूर्ण न्यायपीठ द्वारा उलट दिया गया था ।

14. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि प्रत्यर्थी-राज्य ने तारीख 22 अगस्त, 1974 और 31 अक्तूबर, 1974 के प्रशासनिक परिपत्रों तथा तारीख 31 जुलाई, 1980 के सरकारी संकल्प के अधीन अपीलार्थी की 10 प्रतिशत पेंशन को अपीलार्थी के तारीख 31 मार्च, 2008 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् रोककर न्यायोचित्य नहीं किया था । हम यह निदेश देते हैं कि पेंशन की 10 प्रतिशत रकम, जो तारीख 31 मार्च, 2008 को अधिवर्षिता के पश्चात् तारीख 19 जुलाई, 2012 तक रोकी गई थी, इस निर्णय की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलार्थी को संदत्त की जानी चाहिए ।

बिहार पेंशन नियमों में नियम 43(ग) अंत:स्थापित करने और

---

[1] (2006) 7 एस. सी. सी. 651.

[2] (2017) 1 पी. एल. जे. आर. 575.

[3] 2019 लैब आईसी 2937 (एफबी) = (2018) 159 एफ. एल. आर. 143.

तारीख 19 जुलाई, 2012 को प्रवर्तन में लाने के पश्चात् राज्य अपीलार्थी की पेंशन की 10 प्रतिशत रकम को आर. सी. मामला सं. 48ए/1996 में की दांडिक कार्यवाहियों की समाप्ति तक विधिक रूप से रोकने के लिए सशक्त है ।

परिणामत:, राज्य दांडिक कार्यवाहियों के परिणाम के अध्यधीन रहते हुए तारीख 19 जुलाई, 2012 से पेंशन की रकम से 10 प्रतिशत की कटौती करेगा ।

15. उपदान की संपूर्ण रकम को रोकने के संबंध में हमारा यह निष्कर्ष है कि बिहार पेंशन नियमों के नियम 27 के अनुसार "पेंशन" में "उपदान" भी सम्मिलित है । कानूनी पुस्तक में तारीख 19 जुलाई, 2012 से नियम 43(ग) के अंत:स्थापन से यह स्पष्ट है कि तारीख 22 अगस्त, 1974 और 31 अक्तूबर, 1974 के प्रशासनिक परिपत्रों, तथा तारीख 31 जुलाई, 1980 के सरकारी संकल्प सं. 3104 के अधीन उपदान को भी नहीं रोका जा सकता था ।

राज्य को यह निदेश दिया जाता है कि इस निर्णय की तारीख से 12 सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलार्थी को संदेय उपदान का 90 प्रतिशत निर्मोचित किया जाए । शेष 10 प्रतिशत आर.सी. मामला सं. 48ए/1996 में उसके विरुद्ध लंबित दांडिक कार्यवाहियों के परिणाम के अध्यधीन निर्मोचित की जाएगी ।

ये सिविल अपीलें पूर्वोक्त निबंधनों के अनुसार मंजूर की जाती हैं ।

सभी लंबित आवेदनों का, यदि कोई हैं, तद्नुसार निपटारा हो जाता है ।

तद्नुसार आदेश किया गया ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.
